

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : राम/गोप/परिपत्र/2026/525

दिनांक : 24/09/2026

आदेश

कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.10.2010 से राजस्व सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए राज्य के सभी उपखण्ड अधिकारी, सहायक जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अवधि में राजस्व प्रकरणों का वास्तविक निस्तारण करने का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त क्रम में राज्य सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र के भाग-1 के कॉलम-6 में मुख्य पारिणामिक कार्यों (key result areas) के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्वयं के द्वारा किये गये मूल्यांकन में मुख्य पारिणामिक कार्य, निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियों में कमी के कारण (कोई हो तो) एवं विशेष योगदान अंकित करने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त सन्दर्भ में निर्देशित किया जाता है कि कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति करते समय निम्नांकित प्रारूप में सूचना का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रतिवेदन को स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के कॉलम :-

क्र. सं.	मुख्य पारिणामिक कार्य (key result areas)	पदावधि के दौरान लक्ष्य (targets)	वास्तविक उपलब्धियां (actual achievements)	उपलब्धियों में कमी का कारण (यदि कोई हो तो) एवं विशेष योगदान

इस सम्बन्ध में प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि उक्त अधिकारियों के प्रतिवेदनों में टिप्पणी अंकित करते समय key result areas (राजस्व प्रकरणों का निस्तारण) को ध्यान में रखते हुए ही सम्बन्धित अधिकारी का मूल्यांकन किये जाने के उपरान्त ही स्वीकारकर्ता अधिकारी को अग्रेषित किये जावें।

आदेशानुसार

(महावीर प्रसाद)

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर



क्रमांक:राम/गोप/परिपत्र/2026/ 526- 533

दिनांक : 24/09/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (क-1/गो0प्र0) विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय सदस्य महोदय (समस्त), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. निजी सचिव, निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
5. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर (समस्त)।
6. राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक जिला कलक्टर(समस्त)।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित समस्त विभागों को ई-मेल करने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली।

(महावीर प्रसाद)

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

